

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2018 (राजसमन्द आर्डर)

नाथूसिंह पिता मूलसिंह जी रावत, निवासी भगवानपुरा (रावत बस्ती) कुंवारिया हाल निवासो बाघपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, कुंवारिया, तहसील व राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द  
दिनांक 16.07.2018 प्र.सं. 29/2017

— / —

उपस्थित (वक्त बहस) 1- श्री आर. एल. रावत अभिभाशक  
अपीलान्त

2- श्री पैरोकार सरकार

-----  
निर्णय

दिनांक

25-07-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार कुंवारिया के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विपक्षी नाथूसिंह ने ग्राम बाघपुरा की आराजी नंबर 212 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में 6 बिस्वा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर बाड़ा, दुकान बना रखी है, जिस पर उप तहसीलदार ने विपक्षी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर दिया तथा अपने निर्णय दिनांक 15-11-2017 से विपक्षी को अतिक्रमी मानते हुए बाड़े व दुकान को ध्वस्त कर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया।

उप तहसीलदार कुंवारिया के उक्त निर्णय दिनांक 15-11-2017 से रूष्ट हाकर विपक्षी/अपीलान्त द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने प्रकरण संख्या 29/2017 निर्णय दिनांक 16-07-2018 से अपीलान्त की

2  
प्रथम अपील खारिज करते हुए उप तहसीलदार कुंवारिया के निर्णय दिनांक 15-11-2017 को यथावत रखा।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 16-07-2018 से रूष्ट होकर अपीलान्त ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 02-08-2018 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्टगण की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्त में अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्त का पुराना कब्जा होने से वह अतिकमी की श्रेणी में नहीं आता है तथा वह भूमिहीन काश्तकार है। अपने पुराने कब्जे बाबत अपीलान्त ने दस्तावेज पेश किये हैं, जिसे भूमि नियमन योग्य है, लेकिन दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें तथा विवादित भूमि अपीलान्त के नाम नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वहीं पैरोकार सरकार ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्त ने अपने कथन की पुष्टि में जो विद्युत बिल एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं, उससे अपीलान्त का पुराना कब्जा साबित नहीं होता है, न ही उन्हें पुराने कब्जे का आधार माना जा सकता है। दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 16-07-2018 एवं उपतहसीलदार कुंवारिया का निर्णय दिनांक 15-11-2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 25-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील  
अधिकारी  
उदयपुर

